	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraodinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 1, बुधवार, शाके 1942– सितम्बर 23, 2020 ***Asvina I, Wednesday, Saka 1942- September 23, 2020***	

भाग–4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, 23 सितम्बर, 2020

संख्या पं. 2(4)विधि/2/2020:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाकिशत किया जाता है :–

राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 24)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने और उससे संसुक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित बनाता है :–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ** :– (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मदरसा बोर्ड, अधिनियम, 2020 है।

   (2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

   (3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएं** :– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

   (क) ''सलाहकार समिति'' से धारा 21 के अधीन गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है।

   (ख) ''बोर्ड'' से धारा के अधीन स्थापित राजस्थान मदरसा बोर्ड अभिप्रेत है।

   (ग) ''अध्यक्ष'' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

   (घ) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 26 के अधीन की गयी अपील को सुनने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

   (ड) "निधि" से धारा 18 के अधीन गठित निधि अभिप्रेत है;

   (च) "प्रधानाध्यापक/प्रधानार्चाय" से किसी मदरसे के अध्यापन र्कमचारिवृंद का प्रधान, चाहे उसे किसी भी नाम से पदाभिहित किया जाये, अभिप्रेत है;

(छ) "मदरसा" से मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत और मदरसा शिक्षा में शिक्षा देने वाली कोई शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है;

(ज) "मदरसा शिक्षा" से ऐसी शिक्षा प्रणाली अभिप्रेत है, जिसमें इस्लामी इतिहास और संस्कृति, और धर्म विद्या सम्मिलित है, और इसमें ऐसी साधारण शिक्षा भी सम्मिलित है जो विद्यार्थी को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, काउन्सिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डो द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए तैयार करती है;

(झ) "मदरसा प्रबंध समिति" से व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसे तत्समय मदरसा के कार्यकलापों का प्रबंध न्यस्त किया गया हो;

(ञ) "बहुमत" से बोर्ड की बैठक में, अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए वहां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत अभिप्रेत है;

(ट) "सदस्य" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(ढ) नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(ण) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(त) सदर" से मदरसा प्रबंध समिति का प्रधान अभिप्रेत है;

(थ) "सामाजिक कार्यकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में और समाज के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक उत्थान में लगा हुआ है;

अध्याय 2
बोर्ड

3. **बोर्ड की स्थापना और निगमन** :– (1) राज्य सरकार, ऐसी तारीख से जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये, बोर्ड की स्थापना करेगी, जिसका नाम राजस्थान मदरसा बोर्ड होगा।

(2) बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा।

(3) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित और धारित करने, और राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उसके द्वारा धारित किसी संपत्ति को अंतरित करने और संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या सहायक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

4. **बोर्ड का गठन.–** (1) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष;

(ख) प्रभारी सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से कम का न हो, पदेन सदस्य;

(ग) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान या उसका ननामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से कम का न हो, पदेन सदस्य;

(घ) प्रभारी सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से कम का न हो, पदेन सदस्य;

(ड) प्रभारी सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव) की रैंक से कम का न हो, पदेन सदस्य;

(च) निदेशक, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात, राजस्थान, पदेन सदस्य;

(छ) प्रभारी सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से कम का न हो, पदेन सदस्य;

(ज) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राजस्थान, पदेन सदस्य;

(झ) सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, पदेन सदस्य;

(ञ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड, राजस्थान, पदेन सदस्य;

(ट) राजस्थान के किसी राज्य विश्वविद्यालय से उर्दू/अरबी या फारसी भाषा के अध्यापन संकाय से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, सदस्य;

(ठ) मदरसा प्रबंध समिति के, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित, छह सदर, जिनमें कम से कम दो महिलाएं होगी, सदस्य; और

(ड) मुस्लिम, समुदाय से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित, चार ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, सदस्य।

स्पष्टीकरण :– इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''प्रभारी सचिव'' से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव सम्मिलित है, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो।

(2) उप धारा (1) के अधीन समस्त नियुक्तियों और नामनिर्देशित राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किये जायेगें।

5. **अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्ते**.– (1) अध्यक्ष, कोई विख्यात शिक्षाविद् या ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता होगा।

(2) अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए या राज्य सरकार के प्रसादर्पयन्त, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(3) अध्यक्ष, राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा और वह उस तारीख से, जिसको राज्य सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, अपना पद रिक्त करेगा।

(4) अध्यक्ष यदि वह किसी भी समय, धारा 7 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट निर्रहताओं में से किसी भी निर्रहता के अध्यधीन हो जाता है, तो पद पर नहीं रहेगा।

(5) अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

(6) अध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

6. **सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्ते**.– (1) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, उसके नामर्निदेशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए या राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(2)पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, अपनापद त्याग सकेगा और वह उस तारीख से, जिसको राज्य सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है,अपना पद रिक्त करेगा।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, यदि वह किसी भी समय, धारा 7 की उप–धारा (1) में निर्दिष्टनिर्रहताओं में से किसी भी निर्रहता के अध्यधीन हो जाता है, तो पद पर नहीं रहेगा।

(4) नामर्निदेशित सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

(5) सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

7. **निर्रहताएं.–** (1) अध्यक्ष और कोई सदस्य, बोर्ड के अध्यक्ष या, यथास्थिति, किसी सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह –

(i) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त न्यायनिर्णीत किया गया है;

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया है;

(iii) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है;

(iv) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है, जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हित या लोक हित में हानिकारक है।

(2) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति/नामनिर्देशन के पश्चात्, उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी निरर्हता के अध्यधीन हो जाता है तो उसकी सदस्यता, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार निदिष्ट करें, समाप्त हो जायेगी।

8. **रिक्तियों का भरा जाना.–** (1) अध्यक्ष या किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य के पद की, मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा हुई किसी भी रिक्ति की दशा में, ऐसी रिक्ति, राज्य सरकार द्वारा नयी नियुक्ति या यथास्थिति, नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

(2) जहां अध्यक्ष का पद छुट्टी, निलम्बन के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को, नये अध्यक्ष द्वारा उसके कर्तव्य संभालने तक, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

9. **बोर्ड की बैठकें.–** (1) बोर्ड, वर्ष में कम से कम चार बार ऐसे समयों पर जैसाकि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाये, बैठक करेगा।

(2) बोर्ड के कार्योत्तर अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, किसी अत्यावश्यक मामले को बोर्ड द्वारा, परिचालन रीति के माध्यम से, विचार में लिया जा सकेगा।

(3) अध्यक्ष बैठक में किसी भी व्यक्ति को, जिसका सहयोग या सलाह वह इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों में से किसी भी कृत्य का पालन करने के लिए अभिप्राप्त करने का इच्छुक हो, आमंत्रित कर सकेगाः

परन्तु उप–धारा (3) के अधीन इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति को ऐसी बैठक में भाग लेने का अधिकार तो होगा, किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(4) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति, सदस्यों की कुल संख्या की एक–तिहाई होगी।

(5) ऐसे कोई भी मामले या प्रश्न, जो बोर्ड की किसी भी बैठक के समक्ष आयें, बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

अध्याय 3
अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

10. **अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य :–** (1) बोर्ड के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों और इसके नियमों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करे।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने और उनको प्रभावी करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) अध्यक्ष, सचिव और बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा।

(4) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किये जाये।

अध्याय 4
बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

11. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य :– (1) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को मदरसा शिक्षा से संबंधित समस्त मामलों पर सलाह दे।

(2) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड को मदरसा शिक्षा का निदेशन और पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी और वह विशिष्टता निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :–

(क) मदरसे का रजिस्ट्रीकरण मंजूर या नामंजूर करना और किसी मदरसे को विरजिस्ट्रीकृत करना, यदि वह उचित और आवश्यक समझे;

(ख) किसी विद्यमान मदरसे का उन्नयन करना, यदि वह उचित और आवश्यक समझे;

(ग) रजिस्ट्रीकृत मदरसो से संबंधित समस्त अभिलेखों का इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसार अनुरक्षण करना;

(घ) पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चया और शिक्षणशास्त्र विहित करना;

(ङ) पाठ्य पुस्तकें और अन्य अध्यापन सामग्री विहित करना;

(छ) मदरसों के निरीक्षण के लिए मैकेनिजम विकसित करना, और राज्य सरकार द्वारा मजूर की गयी निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना;

(ज) मदरसा शिक्षा के विषय में केन्द्रीय और राज्य सरकार की स्कीमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना;

(झ) राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए बोर्ड के वार्षिक बजट प्राक्कलनों और लेखाओं को तैयार करना;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसको राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किये जायें; और

(ट) मदरसा बोर्ड के अधिकारियों और र्कमचारियों तथा मदरसों के अध्यापकों के आचरण और अनुशासन से संबंधित विनियम बनाना ।

12. प्रत्यायोजित करने की शक्ति– :– बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, उसके अध्यक्ष द्वारा या ऐसी समिति या अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

अध्याय 5
बोर्ड के अधिकारी

13. सचिव :– (1) सचिव, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा।

(2) अध्यक्ष के साधारण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए, सचिव बोर्ड का प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होगा और बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का हकदार होगा किन्तु उनमें मत देने का हकदार नहीं होगा। वह बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलिखित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

14. लेखा अधिकारी.– (1) राज्य सरकार, बोर्ड के वित्त और लेखाओं का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने के लिए लेखा अधिकारी को, जो राजस्थान लेखा सेवा का अधिकारी होगा, नियुक्त करेगी। वह बोर्ड के सचिव के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(2) वह–

(i) बजट की तैयारी के लिए और उसे बोंड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ii) बोर्ड की निधि का प्रशासन करेगा;

(iii) बोर्ड के व्यय का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा; और

(iv) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यय, जिसे बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया है, बोर्ड द्वारा उपगत नहीं किया जाये।

15. बोर्ड के अन्य अधिकारी और र्कमचारी– (1) बोर्ड को, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का दक्षतापूर्वक र्निवहन करने के लिए, सर्मथ बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, इतनी संख्या में अधिकारी और अन्य र्कमचारी, जो वह उचित समझे, प्रतिनियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार बोंड में अधिकारियों और अन्य र्कमचारियों के इतनी संख्या में पद और पदों के प्रर्वग भी सृजित कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे और उन पर नियुक्ति कर सकेगी।

(3) बोर्ड के इस धारा के अधीन नियुक्त अधिकारियों और र्कमचारियों के वेतन और भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

16. जिला स्तरीय कार्यालय.– बोर्ड के नियंत्रण और र्पयवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए, मामलात विभाग के अधीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का र्कायालय, बोर्ड की स्कीमों और र्कायक्रमों के क्रियान्वयन और बोर्ड की ओर से मदरसों का निरीक्षण और उनको मानीटर करने के प्रयोजन के लिए जिला स्तरीय र्कायालय के रूप में भी र्काय करेगा।

अध्याय 6
बोर्ड का बजट और वित्त

17. बजट.– (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसाकि विहित किया जाये, बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित करते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करवायेगा और उसके अनुमोदन के पश्चात उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किसी भी राशि का व्यय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों के अंर्तगत नहीं आता हो ।

18. निधि.– (1) एक निधि स्थापित की जायेगी जिसे मदरसा बोर्ड निधि कहा जायेगा, जिसे इसमें इसके पश्चात 'निधि' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) निम्नलिखित धनराशियां, निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, र्अथात्:–

(i) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोई अनुदान;

(ii) कोई न्यास, वसीयत, संदान, विन्यास और अन्य अनुदान; और

(iii) बोर्ड के निमित्त प्राप्त कोई अन्य राशियां।

(3) निधि का उपयोग र्सवधा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

19. लेखा और संपरीक्षा :– (1) बोर्ड के लेखे, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जैसाकि विहित किया जाये, तैयार किये और रखे जायेंगे।

(2) बोर्ड के लेखे, राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंधों के अनुसार या ऐसी रीति से, जो नियमों द्वारा विहित की जाये, निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे।

(3) बोर्ड के लेखे किसी रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षित किये जायेंगे और उसकी रिर्पोट वार्षिक रिर्पोट का भाग होगी।

(4) बोर्ड, संपरीक्षा के प्रभार, जो नियमों द्वारा विहित किये जायें, अपनी निधियों से संदत्त करेगा।

20. वार्षिक रिर्पोट :– (1) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष, इस अधिनियम के अधीन उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह रिर्पोट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार, उप–धारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 7
बोर्ड की समितियां

21. सलाहकार समिति (1) नीतिगत मामलों, वित्त से अंर्तवलित मामलों पर बोर्ड को सलाह देने के लिए और बोर्ड के कार्य संपादन का समय–समय पर पुनर्विलोकन करने के लिए, उसके नीचे उपबंधितानुसार एक सलाहकार समिति गठित की जायेगीः–

(i) मुख्यमंत्री, राजस्थान	पदेन अध्यक्ष;
(ii) अल्पसंख्यक मामलात मंत्री, राजस्थान	पदेन उपाध्यक्षः
(iii) स्कूल शिक्षा मंत्री, राजस्थान	पदेन सदस्य
(iv) वित्त मंत्री, राजस्थान	पदेन सदस्य;
(v) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राजस्थान	पदेन सदस्य;
(vi) अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड, राजस्थान	पदेन सदस्य;
(vii) अध्यक्ष, राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग	पदेन सदस्य;
(viii) अध्यक्ष, मदरसा बोर्ड, राजस्थान	पदेन सदस्य;
(xi) प्रभारी सचिव, अल्पसंख्यक मामलात, राजस्थान	सदस्य सचिव;

स्पष्टीकरण :– इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रभारी सचिव से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव सम्मिलित है, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो।

(2) अध्यक्ष, समिति की किसी भी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष को प्राधिकृत कर सकेगा।

22. अन्य समितियां :– (1) बोर्ड, ऐसी समितियां गठित कर सकेगा, जो वह अपने उचित और दक्ष कृत्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(2) समितियों की संरचना और उनके सदस्यों की सेवाओं के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन गठित समितियों की शक्तियों, कृत्यों और प्रक्रिया को विनियमित करने बना सकेगा।

अध्याय 8
प्रकीर्ण

23. **बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और र्कमचारियों का लोक सेवक होना**:– बोर्ड का अध्यक्ष और समस्त सदस्य, अधिकारी और र्कमचारी, जब इस अधिनियम या तद्वीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में र्काय कर रहे हों या र्काय करने के लिए तात्पर्यित हाँ, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के र्अथान्र्तगत लोक सेवक समझे जायेंगे।

24. **सद्भावर्पूवक की गयी र्कारवाई के लिए संरक्षण :–** राज्य सरकार, बोर्ड या उसकी समितियों में से किसी भी समिति या किसी भी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, ऐसी किसी भी बात के लिए, जो इस अधिनियम या तद्वीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबंधों, किये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावर्पूवक की गयी या किये जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक र्कायवाहियां नहीं होंगी।

25. **राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति** :– (1) राज्य सरकार, बोर्ड को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा किये जाने के लिए आवश्यक समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(2) राज्य सरकार को, बोर्ड द्वारा की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के संबंध में बोर्ड को संबोधित करने या अपना विचार अभिव्यक्त करने की शक्ति होगी।

(3) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, उसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, बोर्ड और उसकी किसी भी समिति के किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन को निलंबित कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन किये जाने के लिए आशयित किसी कृत्य के निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकेगी, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा संकल्प, आदेश या कृत्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधिक्य में है या इस अधिनियम के प्रयोजनों के प्रतिकूल है।

26. **बोर्ड के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील.–** बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति या निकाय ऐसे आदेश के पारित किये जाने के साठ दिवस के भीतर–भीतर सक्षम प्राधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल किये जाने से र्पयाप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था, साठ दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा।

27. **प्रतिवेदन**:– बोर्ड राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और विवरण देगा, जो विहित किये जायें और बोर्ड से संबंधित किसी मामले पर ऐसी और सूचना देगा जिसकी राज्य सरकार अपेक्षा करे।

28. **राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति**:– राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

29. **बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति :–** बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों से संगत ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का र्निवहन करने के लिए आवश्यक हों।

30. **नियमों और विनियमों का राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जाना**.– इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि, उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे नियम या विनियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात ऐसा नियम या विनियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

31. **कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति :–** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, ऐसे आदेश के किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।